न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 182 सन 2014
अनवान :–

1. रोशनी पुत्री मनीराम पत्नी चानणराम जाति नायक निवासी अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीया

बनाम

1. मनीराम पुत्र जेठाराम जाति नायक साकिन मलवाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगबढ।
2. कृष्ण पुत्र मनीराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. जीताराम पुत्र मनीराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. पृथ्वी पुत्र मनीराम जाति नायक साकिन मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
5. बिमला पुत्री मनीराम पत्नी मुखराम जाति नायक साकिन अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री हवासिंह पुनीया अधिवक्ता वादीया
श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 06/03/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 3 बारानी के प0न0 342/353(78) किला न0 23/0.253 ,प0न0 340/354(120) किला न0 25/0.253 ,प0न0 341/354(121) किला न0 15 ता 25/2.7080हैक , प0न0 342/354(122) किला न0 1 ता 3 ,7 ता 14 ,17 ता 24/4.8070हैक प0न0 342/355 (129) किला न0 1 ता 4 ,7 ता 9 ,12 ता 19 कुल 3.7950हैक प0न0 342/355(129) किला न0 1 ता 4 ,7 ता 9 ,12 ता 19 ,/3.7950हैक प0न0 341/355(130) किला न0 1 ,2/0.5060हैक प0न0 0 मु0न0 483/109 किला न0 0 कि 0.075हैक गै0मु0 रास्ता कुल 12.3970हैक भूमि में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब 1/3 हिस्सा के काबिज खातेदार काश्तकार है।

वादीया एवं प्रतिवादीगण सयुक्त हिन्दु खानदान परिवार के सदस्य है प्रतिवादी संख्या 1 वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का पिता परिवार का मुखिया एवं कर्ता खानदान है विवादित भूमि पैतृक जददी जायदाद है जो प्रतिवादी न0 1 को अपने पिता के फोत होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का जन्म से ही अपने पिता के साथ बहिब का हक हिस्सा है।

वादीया एवं प्रतिवादीगण अपने हक हिस्सा की भूमि को काश्त करते आ रहे है लेकिन राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादीया के नाम से दर्ज नही होने के कारण वादीया के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीया अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 1 की मानसिक स्थिति सही नही है वह प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के असर में इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 वाद भूमि अपने नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर कभी भी रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकील कर सकते है इसलिये वादीया प्रतिवादी

संख्या 1 को पाबन्द करवाने की अधिकारी है कि वह वाद भूमि को रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे ।

वादीया का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 3 बारानी की कुल 12.3970हैक भूमि में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है की धोषणा करवा पानें की अधिकारी है वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादीया का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ,3 को विधिवत सम्मन की तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई प्रतिवादी संख्या 1 , 4 ,5 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादीया के वाद में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम में पेश किया की

वादीया का वाद भूमि पर कब्जा नही है ना ही वादीया का वाद भूमि में कोई हक हिस्सा है कब्जा के अभाव में वादीया का वाद चलने योग्य नही है प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है वादीया को वाद लाने का अधिकार नही है वादीया ने जिस भूमि का दावा पेश किया है उसमें वादीया का कोई हक व हिस्सा नही है जेठाराम सन 2005 से पूर्व फोत हुआ है जिस दिन जेठाराम फौत हुआ है उस दीन मनीराम पुत्र जेठाराम व कृष्ण ,जीताराम , पृथ्वी पि0 मनीराम का बहिब हिस्सा था इसलिये मनीराम 1/4 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का 3/4 बहिब हिस्सा है इसलिये वादीया का उक्त 1/4 हिस्सा में वादीया मात्र मनीराम के 1/4 हिस्सा के ही अपना हिस्सा की धोषणा करवा पानें की अधिकारी है जरिये काउन्टर कलेम मनीराम के 1/4 हिस्सा में वादीया व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बहिब धोषणा की जावे जबाब दाब मय काउन्टर कलेम शामिल मिसल किया गया

वादीया ने काउन्टर कलेम का जबाब पेश किया की संशोधित हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम दिनांक 9.9.2005 का प्रभाव पूर्ववती नही बल्कि पश्चातवर्ती है यदि 20.12.2004 से पूर्व कोई बटवारा या अदालत की डिक्री हो तो इस अधिनियम का प्रभाव होता है आज विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है एवं पैतृक भूमि है व दिनांक 20.12.2004 से पूर्व कोई बंटवारा या अदालत की डिक्री नही है इसलिये विवादित भूमि मे वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का जन्म से ही अपने पिता के साथ बहिब का हक व हिस्सा है काउन्टर कलेम खारिज कर वाद वादीया डिक्री फरमाया जावे। जबाब काउन्टर कलेम शामिल मिसल किया जाकर वादीया के वाद जबाब काउन्टर कलेम/प्रतिवादी के जबाब काउन्टर कलेम के आधार पर निम्नप्रकार से तनकीआत कायम की गई।

1. आया विवादित भूमि चक 3 बारानी तहसील नोहर की 12.3970हैक भूमि में वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है ।? वादीया
2. आया कि प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारी है ।? वादीया
3. आया विवादित भूमि बाबत दिनांक 20.12.2004 से पूर्व को कोई बटवारा या अदालत की डिक्री नही है।? वादीया
4. आया वादिया मनीराम के 1/4 हिस्सा में 1/5 हिस्सा की धोषणा करवाने की अधिकारणी है ।? प्रतिवादी
5. आया विवादित भूमि पर वादीया का कब्जा नही है ।? प्रतिवादी
6. दादरसी

   तनकी कायम की जाकर उभयपक्षों के साक्ष्य हेतु निर्देशित किया गया वादीया ने साक्ष्य में अपना शपथ पत्र पेश किया प्रतिवादीगण को साक्ष्य का बार बार अवसर दिये जाने पर भी साक्ष्य पेश नही करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादीया के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 3 बारानी के प0न0 342/353(78) किला न0 23/0.253 ,प0न0 340/354(120) किला न0 25/0.253 ,प0न0 341/354(121) किला न0

15 ता 25/2.7080हैक , प0न0 342/354(122) किला न0 1 ता 3 7 ता 14 ,17 ता 24/4. 8070हैक प0न0 342/355 (129) किला न0 1 ता 4 ,7 ता 9 ,12 ता 19 कुल 3.7950हैक प0न0 342/355(129) किला न0 1 ता 4 ,7 ता 9 ,12 ता 19 ,/3.7950हैक प0न0 341/355(130) किला न0 1 ,2/0.5060हैक प0न0 0 मु0न0 483/109 किला न0 0 कि 0. 075हैक गै0मु0 रास्ता कुल 12.3970हैक भूमि में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब 1/3 हिस्सा के काबिज खातेदार काश्तकार है।

वादीया एवं प्रतिवादीगण सयुक्त हिन्दु खानदान परिवार के सदस्य है प्रतिवादी संख्या 1 वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का पिता परिवार का मुखिया एवं कर्ता खानदान है विवादित भूमि पैतृक जददी जायदाद है जो प्रतिवादी न0 1 को अपने पिता के फोत होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का जन्म से ही अपने पिता के साथ बहिब का हक हिस्सा है।

वादीया एवं प्रतिवादीगण अपने हक हिस्सा की भूमि को काश्त करते आ रहे है लेकिन राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादीया के नाम से दर्ज नही होने के कारण वादीया के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीया अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पानें की अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 1 की मानसिक स्थिति सही नही है वह प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के असर में इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 वाद भूमि अपने नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर कभी भी रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकील कर सकते है इसलिये वादीया प्रतिवादी संख्या 1 को पाबन्द करवानें की अधिकारी है कि वह वाद भूमि को रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे ।

संशोधित हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम दिनांक 9.9.2005 का प्रभाव पूर्ववती नही बल्कि पश्चातवर्ती है यदि 20.12.2004 से पूर्व कोई बंटवारा या अदालत की डिक्री हो तो इस अधिनियम का प्रभाव होता है आज विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है एवं पैतृक भूमि है व दिनांक 20.12.2004 से पूर्व कोई बंटवारा या अदालत की डिक्री नही है इसलिये विवादित भूमि मे वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का जन्म से ही अपने पिता के साथ बहिब का हक व हिस्सा है काउन्टर क्लेम खारिज कर वाद वादीया डिक्री फरमाया जावे।

वादीया का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 3 बारानी की कुल 12.3970हैक भूमि में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है की धोषणा करवा पानें की अधिकारी है वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वकील प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,5 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब काउन्टर कलेम में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादीया का वाद भूमि पर कब्जा नही है ना ही वादीया का वाद भूमि में कोई हक हिस्सा है कब्जा के अभाव में वादीया का वाद चलने योग्य नही है प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है वादीया को वाद लाने का अधिकार नही है वादीया ने जिस भूमि का दावा पेश किया है उसमें वादीया का कोई हक व हिस्सा नही है जेठाराम सन 2005 से पूर्व फोत हुआ है जिस दिन जेठाराम फोत हुआ है उस दीन मनीराम पुत्र जेठाराम व कृष्ण ,जीताराम , पृथ्वी पि0 मनीराम कका बहिब हिस्सा था इसलिये मनीराम 1/4 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का 3/4 बहिब हिस्सा है इसलिये वादीया का उक्त 1/4 हिस्सा में वादीया मात्र मनीराम के 1/4 हिस्सा के ही अपना हिस्सा की धोषणा करवा पानें की अधिकारी है जरिये काउन्टर कलेम मनीराम के 1/4 हिस्सा में वादीया व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बहिब धोषणा की जावे वादीया का वाद खारिज किया जाकर काउन्टर कलेम डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया तनकी वार विवेचन निम्नप्रकार से है :–

तनकी न0 –1 – को साबित करने का भार वादीया पर था वादीया ने तनकी को साबित करने के लिये वर्तमान जमाबन्दी रोही मौजा चक 3 बारानी एवं पर्चा खतौनी रोही मौजा चक 3 बारानी पेश की गई जिसके अनुसार वाद भूमि पूर्व में जेठाराम पुत्र चैना जाति नायक निवासी मलवाणी के नाम से दर्ज है जो वादीया का दादा है अर्थात वाद भूमि पूर्व में

वादीया के दादा जेठाराम पुत्र चैना के नाम से दर्ज थी जिनके फोत हो जाने के बाद वाद भूमि विरास्तन से उसके पुत्रों फरसाराम , मनीराम , कुरडाराम के नाम विरास्तान से बहिब दर्ज हुई है जो प्रस्तुत वर्तमान जमाबन्दी से पूर्णतया साबित है अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीया का पिता है के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि वादीया के दादा जेठाराम पुत्र चैना के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खाता में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब के हकदार है इस प्रकार तनकी न. 1 साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण तनकी न0 1 वादीया के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी न0 –2– को साबित करने का भार भी वादीया पर था तनकी न0 1 में यह साबित हो चुका है कि वादीया वाद भूमि में हक हिस्सा है जो वाद में तय होना है वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 1 वाद भूमि को रहन बेय कर या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल कर सकता है वादीया के हकों की धोषणा होने से पूर्व यदि प्रतिवादी संख्या 1 वाद भूमि को खूर्द बुर्द कर देता है तो वादीया को अपूर्णीय क्षति हो सकती है इसलिये वादीया के हकों की धोषणा होने तक वाद भूमि की यथास्थिति बनाई रखी जानी उचित है अतः तनकी न0 2 – भी वादीया के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी न0 – 3 – को साबित करने का भार भी वादीया पर था प्रतिवादी संख्या 1 , 4 ,5 ने ऐसा कोई साक्ष्य सबुत पेश नही किया गया है कि वाद भूमि का पूर्व में किसी प्रकार को कोई बटवारा या किसी न्यायालय की डिक्री जारी की गई हो जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम संशोधित दिनांक 09.09.2005 प्रभाव पूर्ववर्ती नही बल्कि पश्चातवती है अर्थात किसी न्यायालय की डिक्री या बटवारा उक्त अधिनियम से पूर्व में हुआ होता तो उक्त अधिनियम का प्रभाव नही होता अन्यथा उक्त अधिनियम पूर्णत्या प्रभावी है प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा किसी प्रकार का साक्ष्य बटवारा या न्यायालय की डिक्री होने के सम्बध में पेश नही किया गया है अतः साक्ष्य सबुतों के अभाव में तनकी न0 3 वादीया के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी न0 –4– को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था प्रतिवादी का कथन है वादीया प्रतिवादी संख्या 1 के 1/4 हिस्सा में से 1/5 हिस्सा पाने की अधिकारी है स्वीकार योग्य ही है प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के अनुसार वाद भूमि वादीया के दादा के देहान्त होने पर विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना पूर्णत्या साबित है पैतृक सम्पति में वादीया अपने पिता के साथ बराबर का हक हिस्सा पाने की अधिकारी है ना की केवल प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा में से भूमि पाने के अधिकारी है अतः तनकी न0 4 प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा साबित नही कर पाने के कारण तनकी न0 4 प्रतिवादीगण के विरू, तय की जाती है।

तनकी न0 – 5 – को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादी ने ऐसा कोई साक्ष्य सबुत पेश नही किया गया जिससे यह साबित हो की वादीया का वाद भूमि पर कब्जा नही है मात्र. कथन किया गया है अतः तनकी न0 5 भी प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन से साबित हो चुका है कि पर्चा खतौनी रोही मौजा चक 3 बारानी पेश की गई जिसके अनुसार वाद भूमि पूर्व में जेठाराम पुत्र चैना जाति नायक निवासी मलवाणी के नाम से दर्ज है जो वादीया का दादा है अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादीया के दादा जेठाराम पुत्र चैना के नाम से दर्ज थी जिनके फोत हो जाने के बाद वाद भूमि विरास्तन से उसके पुत्रों फरसाराम , मनीराम , कुरडाराम के नाम विरास्तान से बहिब दर्ज हुई है जो प्रस्तुत वर्तमान जमाबन्दी से पूर्णतया साबित है अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीया का पिता है के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि वादीया के दादा

जेठाराम पुत्र चैना के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में सयुक्त रूप से दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब के हकदार है वादीया का वाद काबिल डिक्री है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बारानी के प0न0 342/353(78) किला न0 23/0.253 ,प0न0 340/354(120) किला न0 25/0.253 ,प0न0 341/354(121) किला न0 15 ता 25/2.7080हैक , प0न0 342/354(122) किला न0 1 ता 3 7 ता 14 ,17 ता 24/4.8070हैक प0न0 342/355 (129) किला न0 1 ता 4 ,7 ता 9 ,12 ता 19 कुल 3. 7950हैक प0न0 342/355(129) किला न0 1 ता 4 ,7 ता 9 ,12 ता 19 ,/3.7950हैक प0न0 341/355(130) किला न0 1 ,2/0.5060हैक प0न0 0 मु0न0 483/109 किला न0 0 कि 0. 075हैक गै0मु0 रास्ता कुल 12.3970हैक भूमि में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 06/03/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रोशनी पुत्री मनीराम पत्नी चानणराम जाति नायक निवासी अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीया

बनाम

1. मनीराम पुत्र जेठाराम जाति नायक साकिन मलवाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगबढ।
2. कृष्ण पुत्र मनीराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. जीताराम पुत्र मनीराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. पृथ्वी पुत्र मनीराम जाति नायक साकिन मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
5. बिमला पुत्री मनीराम पत्नी मुखराम जाति नायक साकिन अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 182 सन् 2014 निर्णय दिनांक– 06/03/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बारानी के प0न0 342/353(78) किला न0 23/0.253 ,प0न0 340/354(120) किला न0 25/0.253 ,प0न0 341/354(121) किला न0 15 ता 25/2.7080हैक , प0न0 342/354(122) किला न0 1 ता 3 7 ता 14 ,17 ता 24/4.8070हैक प0न0 342/355 (129) किला न0 1 ता 4 ,7 ता 9 ,12 ता 19 कुल 3.7950हैक प0न0 342/355(129) किला न0 1 ता 4 ,7 ता 9 ,12 ता 19 ,/3.7950हैक प0न0 341/355(130) किला न0 1 ,2/0.5060हैक प0न0 0 मु0न0 483/109 किला न0 0 कि 0.075हैक गै0मु0 रास्ता कुल 12.3970हैक भूमि में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/03/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)